न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 बाराबंकी

<u>प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–324/2020</u>

<u>CNRN0UPBB01006590 2018</u>

झग्गर पासी पुत्र सालिकराम पासी निवासी ग्राम धुनौली ठकुरान थाना रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी – – – – ––– – – – – परिवादी

प्रति

1– अवधेश सिंह
2– कमल सिंह
3– सियाराम
4– अशोक – – – – – – – – – – – – – – – – विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र धारा–156 (3) दं0प्र0सं0
थाना–रामसनेहीघाट,
जिला–बाराबंकी।

<u>आदेश</u>

परिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र धारा–156 (3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यह कथन किया गया था कि वह अनुसूचित जाति पासी बिरादरी का अनपढ़ ब्यक्ति है। दिनॉक–08.10.2018 को लगभग 11.00 बजे दिन में उसके गॉव के सियाराम से पानी के निकास को लेकर पंचायत थी। पंचायत में गॉव के बहुत से लोग एकत्र थे। पंचायत में यह तय हुआ कि हनोमान की बाग से सीधे नाली बनेगी। आवेदक तैयार हो गया तभी गॉव के अवधेश सिंह व कमल सिंह ने सियाराम से कहा कि जमीन मेरे नाम करो, मैं साले पासी से निपट लूॅगा व जाबेजा गालियॉ देने लगे। आवेदक ने गालियॉ देने से मना किया तो विपक्षीगण ने उसे लात घूॅसों व डण्डों से मारा पीटा। आवेदक को बचाने उसकी बहू लीलावती, रेशमादेवी शत्रोहन आदि बचाने आये तो उन्हें भी विपक्षीगण ने मारा पीटा व निर्वस्त्र कर दिया व बेइज्जती किया। घटना को पूरे गॉव वालों ने देखा व बीच बचाव करने का प्रयास किया तो विपक्षीगण ने जातिसूचक गालियॉ दिया। विपक्षीगण ने उसकी दीवाल को तोड़ दिया। उसने थाने पर सूचना दिया पुलिस वाले आये और उसे तथा बहू व विपक्षीगण को थाने लेकर गये। उसने दरोगा को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन उसे व उसकी बहू आदि को थाने पर दिन भर बैठाये रखा व विपक्षी सियाराम के परिवार वालों ने दीवाल को जोड़ दिया।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले के पीड़ित द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 में यह कथन किया

गया है कि घटना छः माह पूर्व की है दिन के 11 बजे का समय था। गॉव के सियाराम से पानी के निकास को लेकर पंचायत हुई थी जिसमें बहुत से लोग आये थे। पंचायत में तय हुआ कि हनुमान की बाग से सीधे नाली बनेगी। अवधेश व कमल सिंह ने सियाराम से कहा कि अपनी जमीन मेरे नाम लिख दो हम पासी साले से निपट लेगें। उसे मॉ बहन की गन्दी गन्दी गालियॉ दी उसने गालियॉ देने से मना किया तो उसे अवधेश कमल सिंह सियाराम अशोक ने लात घूँसों से मारा पीटा तथा उसकी बहू को मारा और निर्वस्त्र कर दिया था।

पी0डब्ल्यू—1 श्रीमती रेशमा परीक्षित हुई है। इस साक्षी ने अपने बयान धारा—202 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि घटना आठ माह पहले की है उसके ससुर झग्गर पासी व विपक्षी सियाराम के बीच घर के पानी के निकास के बाबत पंचायत चल रही थी जिसमें गॉव के बहुत से लोग आये थे। वह भी पंचायत में मौजूद थी। इस पंचायत में यह तय हुआ कि झग्गर पासी के घर का पानी हनुमान की बाग से सीधी नाली बनेगी जिसे झग्गर और उसके ससुर तैयार थे। इस साक्षी ने परिवादी के कथनों का पूर्णतया समर्थन किया है।

इसी प्रकार साक्षी पी0डब्यू—2 लीलावती ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि घटना आज से एक साल पहले की दिन के 11.00 बजे की है। उसके ससुर झग्गर पासी व गॉव के अवधेश सिंह व कमल सिंह व सियाराम व गॉव के अशोक से पानी के निकास का विवाद चल रहा था उसी के सम्बन्ध में पंचायत बुलाई गई थी जिसमें यह तय हुआ कि पानी का निकास हनोमान की बाग से होकर नाली बने। परिवादी व विपक्षी सियाराम के बीच घर के पानी के निकास के बाबत पंचायत चल रही थी जिसमें गॉव के बहुत से लोग आये थे। वह भी पंचायत में मौजूद थी। इस पंचायत में यह तय हुआ कि झग्गर पासी के घर का पानी हनुमान की बाग से सीधी नाली बनेगी जिसे झग्गर और उसके ससुर तैयार थे। अवधेश आदि ने उसके ससुर झग्गर को गाली देने लगे और पासी मादरचोद भोसडी वाले की गालियॉ भी दिया था। उसके शोर पर वह तथा उसकी देवरानी रेशमा बचाने दौडी तो अवधेश व अन्य विपक्षीगण ने उसका ब्लाउज फाड़ डाला और उसे और देवरानी को मारा पीटा। गॉव के तमाम लोग आ गये थे और बीच बचाव कराया। पीड़ित/आवेदक एवं उसकी ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी की साक्ष्य एवं शपथ पत्र से घटना का पूर्णरूप से समर्थन होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने साथ हुई कथित घटना का समर्थन अपने बयान अन्तर्गत धारा—200 दं0प्र0सं0 के साथ—साथ शपथ पत्र के द्वारा घटना का पूर्णतया समर्थन किया

है।

अतः परिवादी एवं उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा—200, एवं 202 दं0प्र0सं0 एवं शपथ पत्र के आधार पर विपक्षीगण को धारा—323, 504, 506, 354क भा0दं0सं0 एवं धारा—3 (1)आर 3 (1)एस अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन आहूत कर विचारण किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

विपक्षीगण अवधेश सिंह, कमल सिंह, सियाराम,अशोक को धारा—323, 504, 506, 354क भा0दं0सं0 एवं धारा—3 (1)आर 3 (1)एस अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधिनियम के अधीन आहूत किया जाता है। तदनुसार अभियुक्तगण/विपक्षीगण के विरूद्ध समन जारी हो। परिवादी लिस्ट गवाहान दाखिल करे तथा पैरवी सात दिन के अन्दर हो।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण दिनॉक—20.01.2021 को पेश हो।

(नित्यानन्द श्रीनेत)
विशेष न्यायाधीश,(अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,
बाराबंकी।
जे0ओ.कोड नं0—यू0पी0—5976

दि0—10.11.2020